

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)डीजीएस/अलेसे-III /1259

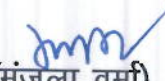
दिनांक :- 18-05-2018

आदेश संख्या 72 /2018-19

स्व. श्री प्रेम सिंह, नायक (15436781) सेना का सेवाकाल के दौरान दिनांक 08.11.2016 को निधन हो जाने के कारण उनकी आश्रित पत्नि श्रीमति रैना पुत्री श्री हनुमान राम, जिनकी जन्मतिथि 13.03.1993 है, को राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 नियम 6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत (मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कर्मिको/पैरा मिलिटरी कर्मिको के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम) राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर कार्यालय कोषाधिकारी-1095, कोष एवं लेखा, बाडमेर में नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग की Email - jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

श्रीमति रैना को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन दी जाती है :-

1. अथ्यर्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्वधीन होगा।
2. अथ्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. यह नियुक्ति, संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्वधीन है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। राज्य सरकार के परिपत्र प.13 (1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अध्वधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
6. अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनको राजस्थान अध्वधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
10. यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अध्वधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग-पत्र देना चाहेंगे अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उन्हें एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. यदि वे आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
12. कर्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार इनकी नियुक्ति स्व. श्री प्रेम सिंह, नायक (15436481) के परिवार के समस्त आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में समाप्त की जा सकती है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी-1095, कोष एवं लेखा बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि वे संबंधित अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रस्तुत करने पर बिन्दु संख्या 4 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
4. श्रीमति रैना पत्नि स्व. श्री प्रेम सिंह ग्राम पोस्ट शहर, तहसील - गिड़ा, जिला - बाड़मेर (राज.) पिन-344037 को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकॉर्ड सधारण हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)